

प्रेषक,

अशोक कुमार मिश्र,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

खाद्य तथा रसद अनुभाग-7

लखनऊ दिनांक 15 सितम्बर, 2017

विषय:-मिट्टी तेल के थोक विक्रेताओं के कमीशन दरों में वृद्धि।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-भा0स0-70/29-7-2016-एम-48/93, दिनांक 02 जनवरी, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश द्वारा मिट्टी तेल के थोक विक्रेताओं को अन्तिम बार भारत सरकार के पत्र संख्या-पी-20028/2/2000-पी0पी0, दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 द्वारा मिट्टी तेल के थोक विक्रेताओं का कमीशन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:-

- 1- थोक विक्रेता (फार्म-15) - रू0 787.82 प्रति किलोलीटर
- 2- थोक विक्रेता (फार्म-15 के अतिरिक्त) - रू0 723.87 प्रति किलोलीटर
- 2- भारत सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या-पी-20028/2/2000-पी0पी0, दिनांक 05 सितम्बर, 2017 (छायाप्रति संलग्न) से संशोधित/पुनरीक्षित कर दिया है:-
  - 1- थोक विक्रेता (फार्म-15) - रू0 1008.83 प्रति किलोलीटर
  - 2- थोक विक्रेता (फार्म-15 के अतिरिक्त) - रू0 928.10 प्रति किलोलीटर
- 3- कृपया मिट्टी तेल के थोक विक्रेताओं को देय कमीशन दरों के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत उक्त आदेश दिनांक 05 सितम्बर, 2017 के क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(अशोक कुमार मिश्र)

अनु सचिव।

संख्या-06/2017/भा0स0-30(1)/29-7-2017, तददिनांक

पत्रिबिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, 30प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
- 2- समस्त मण्डलीय उपायुक्त, खाद्य उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त संभागीय खाद्य नियंत्रक, उत्तर प्रदेश।
- 4- राज्य स्तरीय समन्वयक, भारतीय तेल निगम, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- 5- निदेशक, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या-पी-20028/2/2000-पी0पी0, दिनांक 05 सितम्बर, 2017 के सन्दर्भ में।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार मिश्र)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।